विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(अधिष्ठान अनुभाग)

संख्याः 215/वि0प0-64/08 (अधि0)/

लखनऊ, दिनांक 01 फरवरी, 2008

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2008 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएं-इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) से है।

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

(घ) "राज्य जन सूचना अधिकारी" एवं "अपीलीय अधिकारी" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पदाभिहित उक्त अधिकारियों से है।

3-कोई व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम के अधीन विहित किसी सूचना के निमित्त पहुंच रखना चाहता हो, अपने सम्पर्क दूरभाष संख्या, यदि कोई हो, निरीक्षण हेतु विहित शुल्क के भुगतान का प्रमाण-पत्र या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का अपने सदस्य होने के प्रमाण सहित आवेदक का नाम और पता तथा सूचना के विवरण, जिसके लिये वह पहुंच बनाना चाहता हो, का उल्लेख करते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा।

4-(1) राज्य जन सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत निवेदन के प्राप्त होने पर उसकी प्राप्ति की तिथि के तीस दिन के भीतर या तो मांगी गयी सूचना को एतदर्थ निर्धारित शुल्क के संदाय पर प्रेषित करेगा या उक्त अधिनियम की धारा 8 या 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से उसे नामंजूर कर सकेगा।

(2) राज्य जन सूचना अधिकारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु किसी अन्य अधिकारी/अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

(3) राज्य जन सूचना अधिकारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों को व्यवहृत करेगा एवं आवेदकों की यथोचित सहायता भी करेगा।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी आवेदक को ऐसी सूचना दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी, जिसके प्रकटीकरण से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विशेषाधिकार का हनन हो। इस सम्बन्ध में सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) मांगी गई सूचना उस दशा में भी देने से इंकार किया जा सकेगा, यदि अनुरोध-पत्र में प्रयुक्त भाषा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रतिष्ठा या गरिमा के प्रतिकूल हो।

(6) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित होने के बावजूद भी आवेदक को वांछित सूचना उसी दशा में दी जायेगी, जब आवेदन-पत्र से ऐसा प्रतीत हो कि मांगी गई सूचना सदाशय से मांगी गई है और उसमें कोई कदाशय ध्वनित नहीं हो रहा है।

छायाप्रति सत्यापित

(रमेश कुमार गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी
अधिष्ठान अनुभाग
विधान परिषद् उ0प्र0

(7) मांगी गई सूचना तभी दी जायेगी, जब वे संसदीय परम्पराओं या संसद/विधान मण्डल के विनिश्चयों के अनुकूल हों।

(8) मांगी गई सूचना यदि संसद या किसी राज्य विधान मण्डल को नहीं दी जा सकती हो तो किसी व्यक्ति को भी ऐसी सूचना नहीं दी जायेगी।

(9) आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में मांगी गई सूचना इस प्रकार सुतथ्यतः उल्लिखित की जायेगी जिससे वह पूर्णतया बोधगम्य हो, अन्यथा ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

(10) कोई आवेदक जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सूचना चाहता हो, राज्य जन सूचना अधिकारी को आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में देगा।

5-धारा-6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए किये गये अनुरोध के साथ रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ) का आवेदन शुल्क भी देय होगा, जो समुचित रसीद के बदले डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, पोस्टल-आर्डर के रूप में होगा और जो विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश के खाते में देय होगा।

शुल्क की धनराशि निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी :--"0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियां-11-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क"।

6-यदि आवेदन-पत्र में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया जाए तो अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित दर पर अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जायेगा :--

(1) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक कागज (ए-4 अथवा ए-3 आकार के) के लिये पन्द्रह रुपये,

(2) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि के लिये [पन्द्रह] रुपये के अतिरिक्त उसका वास्तविक प्रभार या लागत कीमत,

(3) नमूनों या माडलों के लिये पन्द्रह रुपये के अतिरिक्त उसकी वास्तविक लागत या कीमत, और

(4) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये प्रथम घंटे के लिये पचास रुपये का शुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके आंशिक भाग) के लिये दस रुपये का शुल्क।

7-उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिये शुल्क निम्नलिखित दर पर जो समुचित रसीद के बदले डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल आर्डर के रूप में होगा और जो विधान परिषद् सचिवालय के नाम में देय होगा, प्रभारित किया जायेगा :--

(क) डिस्केट अथवा फ्लापी अथवा कम्पैक्ट डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रति डिस्केट अथवा फ्लापी अथवा कम्पैक्ट डिस्क, पन्द्रह रुपये के अतिरिक्त पचास रुपये, और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिये नियत मूल्य पर अथवा ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की छायाप्रति की प्रति पृष्ठ के लिये पांच रुपये।

8-मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामलों में श्रम और सामग्री में लगाये जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क राज्य जन सूचना अधिकारी के द्वारा नियत किया जायेगा।

9-यदि वांछित सूचना भेजने हेतु अतिरिक्त शुल्क आवश्यक हो तो राज्य जन सूचना अधिकारी तत्सम्बन्धी गणना सूचित करते हुए आवेदक से यह अनुरोध करेगा कि आवेदक द्वारा उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा किया जाय और इस प्रकार राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना भेजने की तिथि एवं अतिरिक्त शुल्क जमा होने की तिथि के मध्य की अवधि एतदर्थ निर्धारित तीस दिन की अवधि में आगणित नहीं की जायेगी।

10-यदि आवेदन-पत्र में मांगी गयी किसी सूचना से सम्बन्धित अभिलेख देखने के लिये अनुमति दी जाय तो उस सम्बन्ध में आवेदक को निम्नलिखित सूचना भेजी जायेगी कि--

(क) वांछित सूचना में से केवल संगत अंश ही देखे जा सकते हैं जिनको इस प्रकार देखने हेतु छूट है,

(ख) वे कारण जिसके आधार पर वांछित सूचना को आंशिक रूप से दिखाये जाने का निर्णय लिया गया है,

छाया प्रति सत्यापित
11-2-16
(रमेश कुमार गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी
अधिष्ठान अनुभाग
विधान परिषद उ0प्र0

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया हो, और

(घ) शुल्क की धनराशि और उसे आगणित किये जाने सम्बन्धी गणना।

11-यदि किसी आवेदक को उसके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में कोई जानकारी एतदर्थ निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है या उसके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के अस्वीकार हो जाने के निर्णय की सूचना उसे प्राप्त होती है तो वह अपीलीय अधिकारी को अधिनियम में निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त से तीस दिन के भीतर इस हेतु अपील कर सकता है।

आज्ञा से,

माताम्बर सिंह,

प्रमुख सचिव।

संख्याः 215 वि0प0/02/अधि0, तद्दिनांक।

1-माननीय सभापति, विधान परिषद् के निजी सचिव को मा0 सभापति की सूचनार्थ,

2-मा0 नेता सदन, विधान परिषद् (माननीय सहकारिता मंत्री) के निजी सचिव को मा0 नेता सदन की सूचनार्थ,

3-मा0 नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,

4-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,

6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासनिक सुधार विभाग,

7-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

8-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

9-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

10-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,

12-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

13-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

14-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

15-समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,

16-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,

17-श्री अनन्त बहादुर सिंह, विशेष सचिव एवं अपीलीय अधिकारी, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

18-श्रीमती कनक लता निगम, संयुक्त सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

19-विधान परिषद् सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

कनक लता निगम

संयुक्त सचिव।

छाया प्रति सत्यापित
रमेश कुमार गुप्ता
11-2-16
(रमेश कुमार गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी
अधिष्ठान अनुभाग
विधान परिषद उ0प्र0

पी0एस0यू0पी0-एल0 293 विधान परिषद् (785)-7-2-2008-200 (कम्प्यूटर)।

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(अधिष्ठान)

संख्या : 2622/वि0प0-64/08(अधि0)

लखनऊ, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली दिनांक 01 अगस्त, 2012 की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2008 के नियम-5 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 5-क जोड़ दिया जाए :-

"5-क-प्रत्येक आवेदन-पत्र द्वारा केवल एक बिन्दु पर ही सूचना मांगी जाएगी।"

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

प्रमुख सचिव।

[illegible]0-एल0 47 राजपत्र (379)-17-10-2012-585+15 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

छाया प्रति सत्यापित

रमेश कुमार गुप्ता

11-2-16

(रमेश कुमार गुप्ता)

अनुभाग अधिकारी

अधिष्ठान अनुभाग

विधान परिषद् उ0प्र0